

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1521

04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

विभिन्न श्रमिक सर्वेक्षणों के बीच पद्धतिगत अंतर

1521. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) में अंतर है;
- (ख) यदि हां, तो एलएफपीआर और यूआर को परिभाषित करने और उनका आकलन करने में पीएलएफएस, सीएमआईई और आईएलओ सर्वेक्षणों के बीच मुख्य पद्धतिगत अंतर क्या है;
- (ग) पीएलएफएस में सरकार द्वारा चुनी गई कार्यप्रणाली का क्या औचित्य है; और
- (घ) क्या श्रम बाजार के आंकड़ों की तुलना में सुधार लाने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु किसी उपाय पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) वर्ष 2017 से देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति से संबंधित विभिन्न संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) कर रहा है। पीएलएफएस श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), बेरोजगारी दर (यूआर), आदि जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान देता है। आईएलओ भारत के संबंध में अपने आईएलओस्टेट डाटाबेस पर रोजगार बेरोजगारी के आंकड़ों के स्रोत पीएलएफएस को मानता है। तथापि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में पीएलएफएस के अनुमानों की तुलना सीएमआईई जैसी निजी एजेंसियों के अनुमानों से नहीं की जाती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की संस्तुतियों पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कम समय अंतराल पर श्रम बल डेटा उपलब्ध कराने के महत्व पर विचार करते हुए, मासिक/तिमाही श्रम

बाजार के डेटा तैयार करने सहित प्रतिदर्श डिजाइन सहित सर्वेक्षण पद्धति विकसित करने के लिए एनएससी के तत्कालीन सदस्य प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में पीएलएफएस पर एक समिति गठित की। इसके परिणाम स्वरूप, एनएससी द्वारा की गई संस्तुतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.11.2014 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, प्रो. एस. पी. मुखर्जी की अध्यक्षता में श्रम बल सांख्यिकी पर एक स्थायी समिति (एससीएलएफएस) का गठन किया गया। एससीएलएफएस ने निर्णय लिया कि पीएलएफएस का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए पंचवर्षीय रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के कुछ पहलुओं पर डेटा एकत्र करने के लिए भी किया जाएगा, इसके अलावा केवल शहरी क्षेत्रों के लिए स्तर और परिवर्तन मानकों के तिमाही अनुमान उत्पन्न करने के लिए पीएलएफएस की विशेषता को बनाए रखा जाएगा। तदनुसार, एससीएलएफएस ने जांच अनुसूची, प्रतिदर्श डिजाइन आदि की संरचना के संबंध में संस्तुतियों की, जिन्हें पीएलएफएस के लिए अपनाया गया।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों के लिए अवधारणाओं और परिभाषाओं को विभिन्न मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में श्रम सांख्यिकी संबंधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ताकि देश के परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता का आकलन किया जा सके।
